उत्तर प्रदेश शासन

नागरिक उड्डयन अनुभाग

संख्या : 48/2017/446/छप्पन-2017-15/10

लखनऊ : दिनांक : 04 जुलाई, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश के अधीन एयरोनाटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उ0प्र0, लखनऊ में कार्यालय ज्ञाप संख्या-327/छप्पन्-2010-53/99 टी0सी0, दिनांक 30 मार्च, 2010 के द्वारा व्याख्याता (मैकेनिकल) के पद पर श्री जितेन्द्र कुमार सरोज को नियत मासिक पारिश्रमिक रूपए 31,000/-(रूपये इकतीस हजार मात्र) पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 01 वर्ष की अवधि के लिए संविदा पर नियुक्त किया गया था, जिसके अनुपालन में श्री जितेन्द्र कुमार सरोज द्वारा दिनांक 03-04-2010 को कार्यभार ग्रहण किया गया, जिसकी संविदा अवधि दिनांक 02-04-2011 को समाप्त हो गई। तदुपरान्त वर्षानुवर्ष उनकी संविदा अवधि बढाई जाती रही है। अन्तिम बार कार्यालय ज्ञाप संख्या- 309/छप्पन-2015-15/10, दिनांक 13 अप्रैल, 2015 द्वारा श्री सरोज की संविदा अवधि नियत मासिक परिश्रमिक रू0 50,160/- (रूपए पचास हजार एक सौ साठ मात्र) पर दिनांक- 03-04-2015 से अग्रेतर 02 वर्ष (अर्थात दिनांक 03-04-2015 से 02-04-2017 तक) के लिए बढाई गई थी, जो दिनांक 02-04-2017 को समाप्त हो गयी है। निदेशक, एयरोनाटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया है कि श्री सरोज द्वारा अपनी संविदा अवधि अग्रेतर बढाए जाने का अनुरोध किया गया है और यह भी कहा गया है कि श्री सरोज द्वारा अपना कार्य निष्ठापूर्वक सम्पादित किया जा रहा है। साथ ही निदेशक, एयरोनाटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ने व्याख्याता (मैकेनिकल) के पद पर श्री सरोज की संविदा अवधि अग्रेतर एक वर्ष बढाए जाने का प्रस्ताव शासन को संदर्भित किया है । प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल, व्याख्याता (मैकेनिकल) के पद पर श्री जितेन्द कुमार सरोज, की संविदा अवधि नियत मासिक पारिश्रमिक रू0 55,301/- पर दिनांक 03-04-2017 से अगामी 06 माह(अर्थात दिनांक 03-04-2017 से 02-10-2017 तक) के लिए पूर्व शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन बढाए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

2- श्री जितेन्द्र कुमार सरोज को उक्त संविदा अवधि में अनुमन्य नियत मासिक पारिश्रमिक के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे। उपर्युक्त शर्तों के अधीन रहते हुए उन पर संविदा सेवा अवधि में अन्य शर्तें वही लागू होंगी, जो अस्थाई कर्मचारियों पर लागू होती हैं और वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-2 के सहायक नियम 157-ए तथा तत्सम्बन्धी शासनादेशों के अन्तर्गत उन्हें अस्थाई राज्य कर्मचारियों की भांति अवकाश देय होगा।

3- श्री जितेन्द्र कुमार सरोज से संविदा पर नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्धारित प्रपत्र पर पुनः अनुबन्ध-पत्र निष्पादित कराकर शासन को तत्काल उपलब्ध कराया जाएगा।

(सूर्य पाल गंगवार)
विशेष सचिव।

श्री जितेन्द्र कुमार सरोज,
व्याख्याता (मेकेनिकल)(संविदा)
नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।